

48

III/निग/रीवा/25.11/2017



Rs. 30/-

3503

- 1- सु. तिजौ आ बिधवा धर्म पत्नी स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री 58 वर्ष।
 - 2- रामबदन कुषावाहा आत्मज स्व. रामपूयाग कुषा 0 उम्री लगभग 32 वर्ष ।
 - 3- रामविशोर तनय स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री लगभग 28 वर्ष ।
 - 4- राजेश कुमार तनय स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री लगभग 25 वर्ष ।
- सभी निवासी ग्राम मांजन राममनोहर तहसील हनुमना रीवा म० प्र०
- 5- रामसुमेर तनय स्व. जगमोहन कुषावाहा उम्री लगभग 66 वर्ष पेसा कृषि नि० ग्राम मांजन राममनोहर थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा ॥ म० प्र० ॥ हाल मुकाम लालमांटी ॥ चंदा मारी तैया ॥ थाना घमापुर तहसील एवं जिला जबलपुर ॥ म० प्र० ॥ ----- आवेदकगण

बनाम

1- श्री शंभु प्रसाद कुषावाहा आत्मज स्व. प्राणपति कुषावाहा उम्री लगभग 58 वर्ष पेसा कृषि नि० ग्राम मांजन राममनोहर तहसील हनुमना जिला रीवा ॥ म० प्र० ॥

2- म० प्र० शासन ----- अनावेदकगण
 निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म० प्र० भू-रा० सं० 01

 निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् रा० नि० बृत्त छटखरी तह० हनुमना जिला रीवा म० प्र० द्वारा प० क्र०/28/आ० 2/16-17 में पारित आदेश दिनांक 23-6-017 ॥ तेइस जून सन् दो हजार सत्रह ॥

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त जो बकत तर्क पेश किए जावेंगे, निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित हैं :---

- 1- यह कि माननीय बिद्वान रा० निरीक्षक बृत्त छटखरी तह० हनुमना जिला रीवा ॥ म० प्र० ॥ जिसे अन्यत्र अधानस्थ न्यायालय के रूप में सम्बोधित किया जावेगा, के द्वारा रा० प्र० क्र० 28/आ० 2/16-017 में पारित चुनौती सुदा आदेश दिनांक 23-6-017 पूर्णतया विधि एवं बिधान के

अधिम० श्री रामपुत्रील शर्मा
 डाटा पेशा/25-9-2017

करीब 1000 रु.
 राजस्व मण्डल म० प्र० न्यायालय
 (सर्किट कोर्ट) रीवा

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
 25.11.2017
 श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
 25.11.2017
 श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
 25.11.2017

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3503

मुस. तिजौआ आदि विरुद्ध श्री शम्भू प्रसाद कुशावाह व म.प्र. प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना, जिला-रीवा के प्र. क्र. 28/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।	<p>(अमर.के. जैन) 5/3/19 सदस्य</p>